NOC FOR CLASS LKG TO VIII

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक- 4570-72 /2016-17 दिनांक- 28-12-2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
ठाकुर विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज कैलीराजपुर देवगाँव आजमगढ़।
आजमगढ़

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 की उपधारा के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के अधीन विद्यालय की लिए मान्यता प्रदान।

महोदय,

आपके आवेदन और मूल प्रपत्र में विद्यालय के साथ पत्राचारों/निरीक्षण के प्रति निर्देश है कि ठाकुर विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज कैलीराजपुर देवगाँव आजमगढ़ को दिनांक-01 जुलाई, 2017 से दिनांक-30 जून, 2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा LKG से 8 तक के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान करने की संस्तुति देता है।

उपरोक्त संस्तुति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

1- मान्यता की संस्तुति विद्यालयीय भवन है और उसमें किसी भी भाग में कक्षा 6 के पश्चात मान्यता प्रदान करने के लिए कोई मान्यता निर्धारित नहीं है।

2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3- विद्यालय कक्षा 1 से (या कक्षानुसार, यदि कक्षा में) कक्षा कक्षा में छात्रों की संख्या के अनुसार तक कक्ष-खण्डों के कमरों तथा और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और जाति निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान पूरा की जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4- बिन्दु 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।

5- फीसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।

6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का साबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उपयुक्त प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना के अधीन नहीं किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिसूचित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशुल्क कक्षा/विशेष कार्यशालाओं तथा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाय।
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन उक्त अधिनियम न्यूनतम अर्हताओं के संबंध की उपधारी है, परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनकी पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
- अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक कक्षा का किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7- विद्यालय संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित मानदण्डों के आधार पर मान्यताप्राप्त का पालन करेगा।

Principal
Amrit Public School
Mau

Manager
Thakur Vidya Mandir Inter Coll
Kaili Shankerpur, Lalganj
Azamgarh-276202

Principal
Thakur Vidya Mandir Inter Coll
Kaili Shankerpur, Lalganj
Azamgarh-276202